

उत्तराखण्ड शासन
रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्या:- — /VIII/17-31(श्रम)/2015
देहरादून, दिनांक: ०५ अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि Ease of Doing Business, 2017 के तहत निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य दिनांक 01 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ हो गया है, जिसके अन्तर्गत अधिनियमों के अधीन पंजीयन एवं नवीनीकरण (तथा अन्य सेवा) हेतु सभी आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.labour.uk.gov.in पर निर्मित ऑन लाईन पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पोर्टल पर ऑन-लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।

1. The Factory Act, 1948.
2. The Boilers Act, 1923.
3. The Building and Other constructions Workers, (Employment & Conditions of Service) Act, 1996
4. The Contract Labour Act 1970.
5. The motor Transport workers Act, 1961.
6. The Shops & Commercial Establishment Act, 1962
7. The inter-State Migrant Workmen (Re & CS) Act, 1997

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या:- 1463 (1) /VIII/17-31(श्रम)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनु सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मा. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।